

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवस/लेखा/व.आ./2022-23/ 3719

दिनांक 03/06/2022

बजट आवंटन आदेश- 13

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-12 Assisted Natural Regeneration

(ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas) (New Advance Action) में वर्णित संलग्न सूची अनुसार

आवंटित कार्यो को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डल को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-(04)-(01)-12

2406- Forest & wildlife

04-Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रु. लाखों)

APO Item No. 12 : Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas) (i) New Advance Action

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	CA ANR	
		Physical (ha)	Financial (@ 0.48993 lacs/ha.)
1	उ.व.स. अजमेर	300	146.97900
2	उ.व.स. भीलवाड़ा	450	220.46850
3	उ.व.स. नागौर	300	146.97900
4	उ.व.स. टोंक	300	146.97900
5	उ.व.स. भरतपुर	350	171.47550
6	उ.व.स. धोलपुर	350	171.47550
7	उ.व.स. करौली	350	171.47550
8	उ.व.स. सवाई माधोपुर	250	122.48250
9	उ.व.स. जालौर	300	146.97900
10	उ.व.स. पाली	200	97.98600
11	उ.व.स. सिराही	100	48.99300
12	उ.व.स. जयपुर	250	122.48250
13	उ.व.स. अलवर	650	318.45450
14	उ.व.स. दोसा	300	146.97900
15	उ.व.स. जयपुर उत्तर	300	146.97900
16	उ.व.स. झुंझुनू	350	171.47550
17	उ.व.स. सीकर	350	171.47550
18	उ.व.स. कोटा	300	146.97900
19	उ.व.स. बारां	350	171.47550
20	उ.व.स. बूंदी	350	171.47550
21	उ.व.स. झालावाड़	400	195.97200
22	उ.व.स. उदयपुर उत्तर	300	146.97900
23	उ.व.स. बांसवाड़ा	350	171.47550
24	उ.व.स. चित्तौड़गढ़	300	146.97900
25	उ.व.स. डूंगरपुर	350	171.47550
26	उ.व.स. प्रतापगढ़	350	171.47550
27	उ.व.स. उदयपुर	400	195.97200

28	उ.व.सं. वन्य जीव भरतपुर	100	48.99300
29	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. द्वितीय रण. बाघ परि. करौली	200	97.98600
30	उ.व.सं. वन्य जीव चम्बल सवाई माधोपुर	200	97.98600
31	उ.व.सं. वन्य जीव जयपुर	200	97.98600
32	उ.व.सं. सरिस्का अलवर	150	73.48950
33	उ.व.सं. वन्य जीव कोटा	200	97.98600
34	उ.व.सं. एम.एन.पी. कोटा	50	24.49650
35	उ.व.सं. वन्य जीव उदयपुर	100	48.99300
36	उ.व.सं. वन्य जीव चित्तौड़गढ़	100	48.99300
37	उ.व.सं. वन्य जीव राजसमंद	300	146.97900
	योग	10500	5144.26500

- 1 Prior to implementation of above activities, the Defs shall submit a certificate to State CAMPA to the effect that the proposed activities are being taken up after due consultation with Gram Sabha and are as per provisions of FRA 2006. Activities proposed in forest areas are in consonance with approved working plan; and activities proposed in protected areas (PAs) are in consonance with approved Wildlife Management Plan. Whereas, activities proposed in forest fire prevention and control operations should be as per Integrated Fire Management Plan.
- 2 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ. / 2022-23 / कैम्पा / अप्रमुवसं / 2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 3 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना / वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 4 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 5 ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 6 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 7 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 8 आवंटित राशि जिस उद्देश्य / कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य / कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 9 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rule एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संश्लिष्ट करें। लेखा की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 10 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी / मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 11 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेख संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 12 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 13 कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।
- 14 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवं विभाग की प्रचलित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 15 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : एनेक्चर -1


 (शिखा मेहरा)
 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
 राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक -अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/वन्य जीव सवाई माधोपुर/वन्य जीव जयपुर/सरिस्का अलवर/वन्य जीव कोटा/वन्य जीव उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित, रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक- अजमेर/भीलवाड़ा/नागौर/टोंक/भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाई माधोपुर/जालौर/पाली/सिरोही/जयपुर/अलवर/दौसा/जयपुर उत्तर/झुंझुनू/सीकर/कोटा/बारां/बूंदी/झालावाड़/उदयपुर उत्तर/बांसवाड़ा/चित्तौड़गढ़/डूंगरपुर/प्रतापगढ़/उदयपुर/वन्य जीव भरतपुर/उ.क्षे.नि. द्वितीय रण. बाघ परि. करौली/वन्य जीव चम्बल सवाई माधोपुर/वन्य जीव जयपुर/सरिस्का अलवर/वन्य जीव कोटा/एम.एन.पी. कोटा/वन्य जीव उदयपुर/वन्य जीव चित्तौड़गढ़/वन्य जीव राजसमंद।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMP) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

or (आकांक्षा जाशी)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।